भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 264
गुरूवार, **3** फरवरी, 2022/14 माघ**,** 1943 (शक)

रोजगार कार्यालय में स्नातकों का अनिवार्य नामांकन

264. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमारः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश भर के जिलों में स्नातकों के लिए रोजगार कार्यालय में अनिवार्य पंजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है**;** और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): सरकार के पास स्नातकों के लिए देश भर के जिलों में स्थित रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रोजगार संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए देश भर के रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण स्वैच्छिक है।

मंत्रालय विभिन्न प्रकार की करियर संबंधी सेवाएं जैसे रोजगार ढूढ़ना और मिलान**,** करियर परामर्श**,** व्यावसायिक मार्गदर्शन**,** कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। ये सेवाएं राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल (www.ncs.gov.in) पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

*****